न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवली जिला टोंक राज0

(श्री भारत भूषण गोयल **R.A.S.** उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिसल संख्या :– 203/2020

उनवानी प्रार्थना पत्रः – **निर्णय दिनांक :–11.10.2022**

देवलाल पुत्र भूरालाल जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी बड़ोली तहसील दूनी जिला टोंक राज0

–प्रार्थी–

बनाम

1. शिवलाल पुत्र मोतीलाल जाति मीणा उम्र बालिग निवासी बड़ोली तहसील दूनी जिला टोंक राज0
2. सुवालाल पुत्र मोतीलाल जाति मीणा उम्र बालिग निवासी बड़ोली तहसील दूनी जिला टोंक राज०
3. रामकन्या पत्नि शिवलाल जाति मीणा उम्र बालिग निवासी बड़ोली तहसील दूनी जिला टोंक राज०
4. सुगना पत्नि सुवालाल जाति मीणा उम्र बालिग निवासी बड़ोली तहसील दूनी जिला टोंक राज0
5. तहसीलदार महोदय, दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राज०

–अप्रार्थीगण–

उपस्थिति :–
श्री रमेश चन्द शर्मा
अधिवक्ता प्रार्थी

एकपक्षीय कार्यवाही विरूद्ध
अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4
तहसीलदार दूनी

प्रार्थना पत्र अधारा 251 ए राज०टीनेन्सी एक्ट

पत्रावली वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुई। प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात खाता संख्या 447 खसरा नम्बर 895 /1618 रकबा 0.53 है0 वाके ग्राम बड़ोली पटवार हल्का बड़ोली तहसील दूनी जिला टोक राज० मे स्थित है। प्रार्थी उक्त आराजी भूमि खसरा नम्बर 895/1618 रकबा 0. 53 है0 पर अपने पूर्वजो के समय से ही आम रास्ता खसरा नम्बर 842 में से सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 889 में से होकर अप्रार्थीगण 1 ता 4 की आराजी भूमि खसरा नम्बर 890 की पूर्वी दिशा की ओर स्थित मेर पर से होकर आता जाता रहा है तथा उपयोग उपभोग करता आ रहा है परन्तु अब अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 ने प्रार्थी की उक्त आराजीयात मे आने जाने वाले उक्त रास्ते को बंद कर दिया है। जिससे प्रार्थी को अपनी उक्त

आराजीयात पर आने जाने मे काफी परेशानी हो रही है तथा रास्ते के अभाव मे प्रार्थी अपनी खातेदारी की भूमि को काश्त नही कर पा रहा है जिसके कारण प्रार्थी को काफी आर्थिक नुकसान हो रहा है। प्रार्थी की उक्त आराजीयात पर आने जाने का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। प्रार्थी को अपनी उक्त आराजीयात पर आने जाने के लिये आम रास्ता खसरा नम्बर 842 में से सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 889 में से होकर अप्रार्थीगण 1 ता 4 की आराजी भूमि खसरा नम्बर 890 की पूर्वी दिशा की ओर स्थित मेर पर से होकर 20 फीट चौडा रास्ता दिलाया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है जिसके लिये यह प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात श्रीमान के क्षेत्राधिकार मे होने से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। प्रार्थी नियमानुसार एवं आदेशानुसार राशी जमा कराने को तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र अ०धारा 251 ए आर टी एक्ट मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात खाता संख्या 447 खसरा नम्बर 895/1618 रकबा 0.53 है0 वाके ग्राम बड़ोली पटवार हल्का बड़ोली तहसील दूनी जिला टोक राज0 पर आने जाने के लिये आम रास्ता खसरा नम्बर 842 में से सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 889 मे से होकर अप्रार्थीगण 1 ता 4 की आराजी भूमि खसरा नम्बर 890 की पूर्वी दिशा की ओर स्थित मेर पर से होकर 20 फीट चोडा रास्ता दिलवाये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 बावजूद तामिल अनुपस्थित होने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

अप्रार्थीगण संख्या 5 तहसीलदार ने जवाबरिपोर्ट पेश की जो इस प्रकार है :–प्रार्थी स्वयं की आराजी खान0 895/1618 तक पहुंचने के लिये रास्ता चाहता की आराजी तक पंहुचने कोई वैकल्पिक रास्ता दर्ज नहीं है। प्रार्थी को रास्ते की आवश्यकता आत्यंतिक है। आराजी ख.न० 889, 890 रकबा 0.19 है0 किस्म बारानी में से रास्ता चाहता है, प्रस्तावित रास्ते का विवरण निम्नानुसार है

क०स०	ख०न०	लम्बाई मीटर में	चौडाई मीटर में	क्षेत्रफल वर्ग मीटर में
1.	889	20	6	120
2.	890	120	6	720
कुल क्षेत्रफल		140	6	840

रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि की डीएलसी दर 237006/– रूपये प्रति हैक्टेयर है। डीएलसी दर से दुगुनी प्रतिकर राशि 39817/– रूपये होती है । आराजी ख0न0 895 / 1618, वाके ग्राम बडोली आवेदक देवलाल पुत्र श्री किशनलाल निवासी बडोली के नाम खातेदारी दर्ज है। प्रार्थी आराजी ख0न0 889,890 में से रास्ता चाहता है, जिसे नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से चिन्हित कर दिया गया है। प्रस्तावित रास्ते के मध्य कोई सरंचना जैसे पेड, दीवार, नहीं है। अप्रार्थीगण उक्त रास्ता दिये जाने के लिये सहमत नहीं है। प्रस्तावित रास्ता अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित नहीं है। अतः मौका रिपोर्ट, मूल ट्रेस नक्शा, जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतियां, सलग्न कर मय अभिशंषा के प्रेषित है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र मिमो को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण अपनी आराजी में आने जाने के लिए रास्ता चाहते है। इस बाबत तहसीलदार दूनी ने अपनी रिपोर्ट में रास्ते की आवश्यकता आत्यन्तिक बताई है और अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। तहसीलदार दूनी की रिपोर्ट अनुसार रास्ता प्रदान कर दिया जावे तो कोई आपति नहीं है, जो भी राशि बनती है प्रार्थीगण जमा करवाने के लिए तैयार है।

पत्रावली का अवलोकन किया और अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। तहसीलदार दूनी ने अपनी रिपोर्ट अनुसार रास्ते की आवश्यकता आत्यन्तिक बताई है और अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है, होना बताया है। आवेदित रास्ते के मध्य कोई संरचना पेड़, अन्य कोई कीमती मकान नही बताया है। अप्रार्थीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने है। अतः प्रार्थीगण के लिए अपनी जोत में आने जाने के लिए रिकॉर्डेड रास्ता दिया जाना आवश्यक है। उक्त के विश्लेषण से स्पष्ट है आराजी ख. नं. 895/1618 वाके ग्राम बड़ोली तहसील दूनी प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है और प्रार्थी की इस खातेदारी आराजी में जाने के लिए कोई पहुंच मार्ग नहीं है और प्रार्थी की आवश्कता आत्यन्तिक है। अतः तहसीलदार दूनी की रिपोर्ट अनुसार रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शित अनुसार वाके ग्राम आंवा के ख. नं. 889 में प्रस्तावित रास्ते की चौडाई 6 मीटर तथा लम्बाई 20 मीटर यानि क्षेत्रफल 6 X 20 = 120 व ख. नं. 890 में प्रस्तावित रास्ते की चौडाई 6 मीटर तथा लम्बाई

120 मीटर यानि क्षेत्रफल 6 X 120 = 720 वर्गमीटर, कुल क्षैत्रफल 840 वर्ग मीटर, रास्ते की भूमि की DLC दर 237006/– रूपये प्रति हैक्टेयर है, जिससे 840 वर्ग मीटर के लिए दुगुनी प्रतिकर राशि 39817/– रूपये जमा कर अथवा पुनः गणना कर वर्तमान डी.एल.सी की दुगनी प्रतिकर राशि जमा करवाकर, राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। तत्पश्चात अप्रार्थीगण को उनके हिस्सेनुसार राशि संदाय करे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली